


2-22

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 17-1-23 को पेश हो ।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

7-1-23

समय पक्ष सुनिश्चित किया जायेगा / पत्रावली दिनांक 24-1-23 को पेश हो ।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

4/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा. प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर भावाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार ही कर नंबर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल  भीलवाड़ा

नम्बर व लोडिंग
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुआ

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

ख्या- 250/22 प्रा0 पत्र

कित ड। गोपाल जाट ना.वा. सरिक्षक पिता गोपाल ड. पुन्ना जाट निवासी-दाता कला
पि - गाण्डल (जोगी)

ग्राम ड। श्री रामलाल जाट निवासी-दाता कला तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

फैशन ड। गगना जाट निवासी-दाता कला तहसील-गाण्डल

कल्याण ड। रूपनाथ जोगी निवासी-दाता कला तहसील-गाण्डल

रवान बाला गरिप तहसीलदार सा. गाण्डल तहसील-गाण्डल

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 24-01-23


::आदेश::

से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ग्राम दाता कला पटवार हल्का दाता कला तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं. 1608/1435, 1610/751 कुल कित 02 रकबा 1-1634
हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
आदेश प्रदान कराये जावें।


पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07-12-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का
वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दाता कला पटवार
तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1608/1435, 1610/751
02 रकबा 1-1634 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
तु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
माण्डल को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार
की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

हसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा